



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15



ISO:9001:2015

Reg.no.: RQ91/10828

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/	71	Dt20/05/2025	Page No..../...
-----------------------------	----	--------------------	-----------------

॥ कार्यालय आदेश ॥

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के निदेशक पर्वद की 265वीं बैठक में लिये गये निर्णय (265/02) के आलोक में महाधिवक्ता, बिहार से मंतव्य प्राप्त किया गया। महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त मंतव्य को निदेशक पर्वद के परिचालन के माध्यम से Circular Resolution No. 207 के तहत स्वीकृतोपरांत निम्न आदेश निर्गत किया जाता है :-

- “ एक संवेदक को एक समय में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत 05 (पाँच) से ज्यादा कार्य आवंटित नहीं किया जाय ”
 - बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा आदेश निर्गत तिथि उपरान्त आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं से लागु होगा। इस आशय की सूचना NIT (Notice Invition Tender) के नियम एवं शर्तों में शामिल किया जाय।
 - प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा आदेश निर्गत करने की तिथि से 06 (छः) महीने के उपरान्त संदर्भित निर्णय के सभी वित्तीय, भौतिक एवं तकनीकी पहलू पर समीक्षा की जाएगी एवं समीक्षोपरांत विस्तृत प्रतिवेदन निदेशक पर्वद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापांक-.....1394...../पटना, दिनांक-.....20/05/2025.....

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता-2, पटना/ सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता, योजना प्रमंडल, पटना/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी/सचिव (कम्पनी-कार्य)/बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

20/05/2025